यदि आपकी शिकायत दर्ज़ नहीं की जाती तो आप क्या कर सकते हैं?

यदि पुलिस स्टेशन के कर्मचारी आपकी शिकायत दर्ज नहीं करते तो आप उसे जिला पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) को भेज सकते हैं जो इसकी जाँच करवायेंगे।

यदि आप पुलिस द्वारा आपकी शिकायत पर की गई कार्रवाई से संतुष्ट न हों, तो आप क्या कर सकते है?

आपको सबसे पहले जिला पुलिस अधीक्षक को लिखना चाहिए। यदि आप उसके द्वारा की गई कार्रवाई से भी संतुष्ट न हों तो कृपया नीचे दिए पते पर लिखें:

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और
अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
5वां तल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
दूरभाष : (011) 462 0435
फैक्स : (011) 462 5378

आप इस आयोग की अपनी राज्य शाखा को भी लिखें।

प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रितों तथा गवाह को किसी पूछताछ, जाँच या मामले की सुनवाई में उपस्थित होने के उद्देश्य से जाँच अधिकारी, उप–जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, जिला न्यायाधीश या किसी अन्य कार्यपालक न्यायाधीश के पास जाने के लिए यात्रा और भरण–पोषण भत्ता अदा किया जाएगा।

क्या अधिनियम के तहत मुआवज़े के लिए कोई प्रावधान है?

- ☛ यदि आप अधिनियम के तहत किसी अत्याचार से पीड़ित हैं, तो आप नियमों के अधीन राहत और अन्य सुविधाएं पाने के हकदार हैं। मुआवज़े की रकम अलग–अलग मामलों में 20,000 रू0 से लेकर 2,00,000 रूपए के बीच हो सकती है। अधिक जानकारी और अपने दावों के निपटाने के लिए आप जिला न्यायाधीश या जिला समाज कल्याण अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।
- ☛ अगर आप प्राप्त राशि से संतुष्ट नहीं है तो विशेष न्यायाधीश को सूचित करें।
- ☛ इसके अतिरिक्त चिकित्सा खर्च भी प्राप्त कर सकते हैं।
- ☛ यदि आप अपने सरकारी वकील को बदलना चाहते हैं तो जिला न्यायाधीश को पत्र लिखें।

सी.एच.आर.आई. के संबंध में

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सी.एच.आर.आई.) एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र गैर-लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। इसका उद्दे य कॉमनवेल्थ दे ों में मानव अधिकारों को व्यवहारिक रूप से हासिल करने को बढ़ावा देना है। सी.एच.आर.आई. मानव अधिकार मानदंडों के अधिक से अधिक अनुपालन की वकालत करता है।

फिलहाल हम निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य कर रहे है: :

- ✪ पुलिस सुधार
- ✪ कारागार सुधार
- ✪ सूचना का अधिकार
- ✪ नीतिगत पहल संबंधी कार्यक्रम
- ✪ कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवनमेंट मिटींग (सी.एच.ओ.जी.एम.) की रिपोर्ट

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी–117, दूसरा तल,
सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली110017, भारत
फोनः +91 011 43180200, 43180225–299
फैक्सः +91 011 26864688
ई-मेलः info@humanrightinitiative.org
वेबसाईटः http://www.humanrightsinitiative.org

पुलिस और आप

अपने अधिकार जानिए

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

(अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (1989) (अत्याचार निवारण) अधिनियम का मकसद क्या है?

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर किए जाने वाले अपराधों को रोकना; और
- ऐसे अपराधों से पीड़ित को राहत देना तथा उनके पुर्नवास का बन्दोबस्त करना।

इस अधिनियम के तहत अभियुक्त कौन है?

- कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न हो और वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के साथ इस अधिनियम में दिया गया कोई अपराध करे, तो वह अपराधी है।

अधिनियम के तहत पीडित व्यक्ति कौन है और अपराध क्या-क्या हैं?

पीड़ित व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का वह सदस्य है जिसके साथ नीचे दिए गए अपराधों में से कोई भी अपराध किए गए हों :

- उसे कोई ऐसा पदार्थ खाने या पीने के लिए मज़बूर किया गया हो जो अपमानकारी हो या खाने लायक न हो;
- उसके घर या पड़ोस में मलबा या कूड़ा जमा करके उसे तंग करना या उसका अपमान किया गया हो;
- उसे नंगा करके या चेहरे या शरीर पर रंग करके घुमाया गया हो।
- उसे गलत तरीके से उसकी अपनी ज़मीन पर खेती करने के हक़ से वंचित किया गया हो।
- उसको किसी ज़मीन (परिसर) या पानी पर अपने अधिकारों से वंचित किया गया हो।
- उसे कम मज़दूरी या मज़दूरी न देकर काम करने या बंधुआ मज़दूर के रूप में काम करने के लिए मज़बूर किया गया हो।
- उसे अपना वोट देने या अपनी इच्छा के मुताबिक वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने से रोका गया हो।
- उस पर झूठी कानूनी कार्रवाई चलाई गई हो।
- किसी कर्मचारी को दी गई गलत सूचना के आधार पर उसे हानि पहुँचाई गई हो या उसे तंग किया गया हो।
- उसे आम लोगों के सामने जानबूझ कर अपमानित किया गया या नीचा दिखाया गया हो।
- कोई महिला जिसके साथ उसकी लज्जा-भंग करने के उद्देश्य से उस पर अपराधिक हमला किया गया हो।
- उसे स्वच्छ पेय जल के अधिकार से वंचित किया गया हो।
- उसे किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने के अधिकार से वंचित किया गया हो।
- उसे अपना घर या गाँव छोड़ने के लिए मज़बूर किया गया हो।
- उसे किसी आपराधिक मामले में फंसाया गया हो जिसकी वजह से उसे कैद या फांसी हो सकती हो।
- उसके घर या पूजा के किसी स्थान को जला कर उसे जानबूझ कर हानि पहुँचाई गई हो।
- उसे किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा हानि पहुँचाई गई हो या किसी अन्य अपराध में फंसाया गया हो।

क्या अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय (Cognizable) हैं?

अधिनियम में दिए गए सभी अपराध संज्ञेय हैं। पुलिस अपराधी को वारंट के बगैर गिरफ्तार कर सकती है और न्यायालय से इजाजत लिए बगैर मामले की जाँच कर सकती है।

यदि कोई सरकारी कर्मचारी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न हो, जानबूझ कर अधिनियम में दिए गए अपने कर्त्तव्यों को अनदेखा करता है तो उसे कम से कम 6 महीने तक कैद हो सकती है।

अधिनियम के तहत शिकायत कौन दाखिल कर सकता है?

कोई भी व्यक्ति, जो यह जानता हो कि अधिनियम के तहत अपराध किया गया है, शिकायत दाखिल कर सकता है। यह जरूरी नहीं कि केवल अपराध का शिकार हुआ व्यक्ति ही शिकायत दाखिल करे।

आपको अपनी शिकायत में क्या बताना चाहिए?

- अपना नाम और पता
- अपराधी का नाम और पता
- अपराध की तारीख, समय और स्थान
- घटना में शामिल लोगों के नाम और हुलिया
- अपराध के वास्तविक तथ्य (सच्ची बातें)
- गवाहों के नाम और पते, और
- कोई दूसरे संगत ब्यौरे

अधिनियम के तहत शिकायत दाखिल करने का तरीका क्या है?

- जब अपराध किए जाने के बारे में सूचना जुबानी तौर पर दी जाए तो पुलिस को इसे अवश्य लिखना चाहिए।
- कृपया जोर दें कि पुलिस द्वारा दर्ज की गई सूचना आपको पढ़कर सुनाई जाए।
- पुलिस द्वारा सूचना दर्ज कर लिए जाने बाद, उस पर सूचना देने वाले व्यक्ति को हस्ताक्षर अवश्य करने चाहिए।
- रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले इस बात की जाँच कर लें कि पुलिस द्वारा दर्ज की गई सूचना आपके द्वारा दिए गए ब्यौरों के मुताबिक है।
- आप रिपोर्ट की नकल मुफ्त प्राप्त करने के हकदार हैं।

यदि अधिनियम के तहत कोई अपराध किया जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए?

आपको ऐसी घटना की सूचना तुरंत ही सबसे नजदीकी पुलिस थाने को देनी चाहिए।

अधिनियम के तहत अपराध की जाँच कौन कर सकता है और जाँच पूरी करने की समय-सीमा क्या है?

- आप अधिनियम के तहत अपराध की जाँच कोई ऐसा पुलिस अफसर कर सकता है जिसका औहदा उप–पुलिस अधीक्षक से कम न हो।
- जाँच अधिकारी को यह जाँच उच्च प्राथमिकता के आधार पर तीस दिन के अन्दर पूरी करनी होती है।